56

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक R 1133/II/06 /06

बिहारी पुत्र सीताराम राय
निवासी - वीरा तहसील - पिछोर
जिला - शिवपुरी (म0प्र0)

-- आवेदक

विरूद्ध

गोविंद दास पुत्र परमाराय
निवासी - वीरा तहसील - पिछोर
जिला - शिवपुरी (म0प्र0)

-- अनावेदक

श्री के0 के0 द्विवेदी एड0 द्वारा आज दि0 28.6.06 को प्रस्तुत।
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर

न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 379/04-05 में पारित आदेश दि. 5-6-06 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

----0----

K. K. Dwivedi Advocate 28.6.06

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है :-

मामले के संक्षिप्त तथ्य :-
===================

1- यह कि, अनावेदक गोविन्ददास द्वारा नायब तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत आवेदन पत्र किया गया कि ग्राम वीरा में स्थित कृषि खाता क्रमांक 537 वर्ष 97-98 जिसमें कुल किता 21 कुल रकवा 3.73 हे0 कुल लगान 11.92 पैसे के बंटवारे हेतु प्रस्तुत किया। नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 3/99-00/अ-27 पर दर्ज किया जाकर अन्तिम आदेश दिनांक 30-10-2000 द्वारा बंटवारा आदेश पारित किया गया। इस आदेश से पूर्व आवेदक ...

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 1133–दो/2006 जिला– शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21–7–2016	आवेदक अधिवक्ता श्री के0के0 द्विवेदी उपस्थित। उनके द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर, संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्र0 379/04–05/अपील में पारित आदेश दिनांक 05.06.06 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता अधिनियम 1959 की धारा–50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है । 2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम वीरा स्थित विवादित भूमि जिसका खसरा नम्बर 537 कुल किता 21 रकबा 3.73 है0 के बटवारा का आवेदन–पत्र अनावेदक द्वारा तहसील न्यायालय, पिछोर के यहॉ प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय में प्ररकण क्रमांक 07/2003–04/अ–27 पंजीबद्ध किया गया और आदेश दिनांक 30.10.2000 को बटवारे का आदेश पारित किया गया । इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक ने प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी पिछोर के न्यायालय में पेश की । न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, पिछोर द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 06.03.02 अपील स्वीकार करते हुये प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर निगरानी पेश की गई जो निरस्त की जाकर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को स्थिर रखा है । प्रथम अपील न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी पिछोर	

के निर्देश के बाद उसके पालन में तहसील न्यायालय के द्वारा दिनांक 19.07.2004 प्रकरण में आदेश पारित किया गया, जिसके विरूद्ध पनुः अनावेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी पिछोर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 104/2003–04/अपील माल पर दर्ज होकर दिनांक 13.04.2005 को अपील स्वीकार की गई। इस आदेश के विरूद्ध पुनः द्वितीय अपील अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई। प्रकरण क्रमांक 379/2004–2005/अपील पंजीबद्ध किया जाकर आदेश दिनांक 05.06.2006 को अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि विधिवत बटवारा नियमों का पालन करते हुये भूमि की किस्म और उसकी उपयोगिता आदि तथ्यों पर गंभीरता से विचार कर आदेश पारित करें । अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के आदेश दिनांक 05.06.2006 से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक के द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी पिछोर द्वारा प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया गया था । अतः इसके पालन में जो कार्यवाही तहसीलदार पिछोर द्वारा की गई थी, उसमें अनावेदक को फर्द बटवारे में की गई आपत्तियों का निराकरण नहीं किया गया, जबकि अनावेदक द्वारा फर्द बटवारे के संबंध में कोई भी आपत्ति प्रस्तुत की ही नहीं गई थी,

बल्कि यहां तक कि अनावेदक को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु कई बार अवसर दिया गया तद्पश्चात साक्ष्य कराई गई और साक्ष्य पर विधिवत रूप से विचार कर तहसील न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया । व्यक्ति विशेष के लाभ के लिये प्रकरण को प्रत्यावर्तित किया जाना नितान्त अवैध और अनुचित है । उनके द्वारा तर्क में यह भी कहा गया कि अनावेदक को विचारण द्वारा साक्ष्य एवं सुनवाई का विधिवत अवसर प्रदान किया गया किन्तु उनके द्वारा समय पर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को पुनः साक्ष्य हेतु अवसर दिया जाना न केवल अवैध है बल्कि अनुचित है । अतः ऐसा आदेश अपास्त किये जाने योग्य है । निगरानी स्वीकार की जावे ।

4/ अनावेदक के अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव उपस्थित। उनके द्वारा प्रकरण का निराकरण अभिलेखों के आधार पर किये जाने का निवेदन किया गया है ।

5/ मेरे द्वारा आवेदक के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये तथा प्रकरण का अवलोकन किया गया। यह प्रकरण वर्ष 2006 से अर्थात लगभग 10 वर्ष से लंबित है। इस प्रकरण में अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के अभिलेख प्राप्त हुये हैं, परन्तु विचारण न्यायालय तहसीलदार पिछोर, जिला–शिवपुरी का अभिलेख और अनुविभागीय अधिकारी पिछोर, जिला–शिवपुरी का अभिलेख अप्राप्त है। विचारण न्यायालय और प्रथम अपीलीय अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख मंगाने हेतु कई बार पत्र जारी किये गये। किन्तु प्रकरण उपलब्ध नहीं हो पाये है। चूंकि यह

प्रकरण तहसीलदार पिछोर एवं अनुविभागीय अधिकारी के अभिलेख के अभाव में लंबित रखा गया, किन्तु अब प्रकरण लंबित रखना उचित नहीं है क्योंकि 10 वर्ष बीत जाने के पश्चात अब और अधिक समय तक प्रकरण को लंबित रखना भी न्यायोचित नहीं होगा, इसलिए प्रकरण का निराकरण उपलब्ध अभिलेख के आधार पर ही किया जा रहा है।

6/ प्रकरण में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया जिससे प्रकट होता है कि प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी पिछोर द्वारा इन निर्देशों के साथ प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया कि सहखातेदारों को सुनकर उनकी उपस्थिति में फर्द बटवारा तैयार कराया जाकर बटवारा नियमों का पालन करते हुये कार्यवाही की जावे । तहसील न्यायालय के समक्ष फर्द बटवारा के प्रकाशन के दौरान जो आपत्तियां प्रस्तुत की गई उनका निराकरण किस प्रकार किया गया यह स्पष्ट नहीं होता है । इसके अतिरिक्त तहसीलदार के आदेश के अवलोकन से यह महत्वपूर्ण तथ्य भी उभरकर सामने आता है कि तहसीलदार द्वारा जो बटवारा का आदेश पारित किया गया है उसमें भूमि के बहुत छोटे–छोटे टुकड़े हो गये है ओर सर्वे क्र0 1381, 1389, 1396 आदे ऐसे सर्वे नम्बर है जो बटवारा के बाद रकबा 0.01 और 0.02 ही रह गया है । इतने छोटे टुकड़े पर कृषि करना भी संभव नहीं है और यह भूखण्ड अनुपयोगी हो गये है । ऐसा प्रतीत होता है कि तहसील न्यायालय ने बटवारा के नियमों और न्यायालयों का पालन नहीं किया है । अनुविभागीय अधिकारी ने भी प्रकरण का अवलोकन गंभीरता के

साथ नहीं किया है । अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने अनुविभागीय अधिकारी पिछोर के आदेश को निरस्त करने में को त्रुटि नहीं की है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ कि अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के द्वारा पारित किया गया आदेश दिनांक 5.05.06.2006 विधिसंगत होने से स्थिर रखा जाता है । प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है । अभिलेख दाखिल रिकॉर्ड हो ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य